आदिम जाति तथा अनु0जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना वर्ष 2012–13

1.प्रस्तावना :–

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में शिक्षकों का अभाव सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आया है। प्रदेश के इन क्षेत्र की शालाओं में शिक्षकों के सभी स्तर के पद हजारों की संख्या में रिक्त पड़े है। योग्य उम्मीदवारों के अभाव में रिक्त पदों की पूर्ति नही हो पाती, फलस्वरूप अध्ययन एवं अध्यापन कार्य अवरूध हो रहा है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सभी विषय शिक्षकों के पद रिक्त है, विशेष रूप से अनु0जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पद रिक्त हैं। विज्ञान विषयों में शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण विज्ञान में अभिरूचि रखने वाले तथा नैसर्गिक प्रतिभा के धनी छात्र भी कला विषय का चुनाव करने के लिए बाध्य होते है, ताकि अपनी पढाई किसी भी प्रकार से आगे जारी रख सकें। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के समान इन क्षेत्र की शालाओं में भी वाणिज्य विषय को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा उ0मा0शालाओं में वाणिज्य संकाय की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में शालाओं में वाणिज्य संकाय हेतु स्वीकृत शिक्षकों के पद भी उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण रिक्त पड़े है। राज्य शासन ने इन क्षेत्रों में **"विज्ञान" एवं "वाणिज्य"** विषय की शिक्षा को चुनौती के रूप में लिया है तथा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के अध्ययन तथा अध्यापन को प्रोत्साहित करने के लिए और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के इन अनु0 जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, जो संसाधनों की कमी के कारण इन विषयों की शिक्षा से वंचित रह जाते है उन्हें योग्यतम अवसर उपलब्ध कराना राज्य शासन की प्राथमिकता का विषय है। जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उम्मीदवार तैयार करने हेतु विभाग द्वारा 500 सीटर बालक एवं 500 सीटर बालिका **"विज्ञान" एवं "वाणिज्य"** शिक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी।

2. योजना का नाम :–

यह योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिये **आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना नियम 2012–13 कहलायेगी।**

3. परिभाषा

3.1. "अनुसूचित क्षेत्र" से आशय छ0ग0 राज्य के लिये घोषित अनुसूचित क्षेत्र से हैं।

3.2 "शिक्षक" एवं "व्याख्याता" से आशय शिक्षक (पंचायत) एवं व्याख्याता (पंचायत) से हैं।

3.3 "प्रशासकीय अधिकारी" से आशय विज्ञान एवं वाणिज्य विकास केन्द्र जिला दुर्ग एवं जिला जगदलपुर में पदस्थ प्रशासकीय अधिकारी से हैं।

4. योजना का उद्देश्य :–

(4.1) प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षक एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवार तैयार करना।

(4.2) प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति तथा अनु0 जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिनकी विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में अभिरूचि है परन्तु गुणवत्ता–परक शिक्षा से वंचित है, उन्हें पूर्ण संसाधनों के साथ अवसर उपलब्ध करा कर विज्ञान/वाणिज्य विषय के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड की पढ़ाई के लिये उत्प्रेरित करते हुए अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक के रूप में सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(4.3) योजनांतर्गत चयनित विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक–स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री बी0एड0 तथा TET परीक्षा हेतु मार्ग दर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

//2//

इस योजना के तहत ...

(4.4.) के आधार पर पदस्थ किया जायेगा। राज्य के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष पदों की पूर्ति होने के पश्चात् अन्य अनु0 क्षेत्रों में भी पद पूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।

5. पात्रता :–

(5.1) प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अनु0 जनजाति एंव अनु0 जाति वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा न्यूनतम 40% अंक से उत्तीर्ण की हो एवं विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के साथ आगामी पढ़ाई के इच्छुक हों।

(5.2) ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों को विभाग के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के स्नातक/स्नातकोत्तर तथा बी.एड की पढ़ाई के पश्चात वे प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए सहमत हैं।

(5.3) कंडिका एक व दो की पूर्ति करने वाले विद्यार्थियों में से बालक एव बालिकाओं को क्रमशः बस्तर एवं दुर्ग जिला मुख्यालय पर संचालित विज्ञान–वाणिज्य केन्द्र पर अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा।

(5.4) अस्थायी रूप से प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को स्वयं की रूचि से संबंधित जिला मुख्यालय अथवा आस–पास संचालित शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में संचालित विज्ञान /वाणिज्य विषय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 15 दिवस के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश के दौरान सहयोग एव मार्गदर्शन संस्था के प्रशासकीय अधिकारी/सम्बधित सहायक आयुक्त द्वारा दिया जायेगा।

(5.5) नियमित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विकास केन्द्र में स्थायी प्रवेश दिया जायेगा। स्थाई प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थी को योजना के तहत दी जाने वाली अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

(5.6) स्नातक स्तर पर एक वर्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः शासकीय व्यय पर 01 वर्ष के लिये प्रवेश की पात्रता होगी। पुन' अनुत्तीर्ण होने पर आगामी 01 वर्ष तक विद्यार्थी को स्वयं के व्यय पर अध्ययन करना होगा। किसी भी स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 04 वर्ष तक छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

6. संस्था हेतु स्वीकृत सीट्स का विवरणः– संस्था में निम्नानुसार सीटें तय की जाती हैं :–

स्नातक स्तर पर सीटों की संख्या			स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों की संख्या		बी0एड
गणित संकाय	जीव–विज्ञान संकाय	वाणिज्य	विज्ञान	वाणिज्य	
80	80	40	80	20	200

- उक्त सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित होगी।
- कुल प्रवेशित संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में क्षमता वृध्दि हेतु स्वीकृत सीट के मान से वृध्दि की जायेगी।

7. चयन एवं प्रवेश :–

(7.1) स्वीकृत सीट से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पिछली परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

(7.2) संस्था प्रारम्भ के प्रथम वर्ष में विषयवार एवं स्तरवार निर्धारित सीट संख्या के बंधन को शिथिल माना जायेगा और आगामी वर्षो में समायोजन करते हुए सीट संख्या के अनुरूप पूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।

//3//

8. विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र :–

योजनांतर्गत चयनित विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा देकर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने के लिये विभाग द्वारा दुर्ग जिला मुख्यालय पर 500 सीटर बालिका एवं जगदलपुर में 500 सीटर बालक "विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र" की स्थापना की गई है। इस संस्था में बी.एस.सी./बी.कॉम एवं एम.एस.सी./एम.कॉम विषय एवं बी0एड0 लेकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जायेगी।

9. आवासीय विद्यालय हेतु भवन :–

शिक्षण केन्द्र हेतु सर्वसुविधायुक्त भवन की व्यवस्था की जायेगी जिसमें छात्रावास एवं कर्मचारी आवासगृह भी होगा।

10. शिक्षण व्यवस्था :–

विज्ञान–वाणिज्य विकास केन्द्र में स्थायी प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था इस योजना में निम्नानुसार की जायेगी:–

1. शिक्षण संस्थान द्वारा लिये जाने वाले वास्तविक शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति पो0मै0 छात्रवृत्ति/विभाग द्वारा की जावेगी किन्तु अशासकीय संस्थाओं को भुगतान करने के पूर्व प्रतिवर्ष विभागीय समिति द्वारा पाठ्यक्रमवार शुल्क की प्रतिपूर्ति की दरों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जावेगा। विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम शुल्क की सीमा तक शिक्षण संस्थाएँ उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में विभाग द्वारा समस्त शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन विशेष रूप से गठित विभागीय समिति से किया जाकर श्रेणीवार संस्था का स्तर एवं शिक्षण शुल्क की दर का निर्धारण करने पर भी विचार किया जावेगा।

2. प्रशासकीय अधिकारी विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षण संस्थाओं में ही प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करेगे जिनके शिक्षण शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित सीमा अंतर्गत आते हो।

3. समिति का गठन आयुक्त की अध्यक्षता में अन्य विभागीय सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

4. इन विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना में शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति एवं निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। सर्वप्रथम शासकीय शिक्षण संस्थाओं के बराबर शिक्षण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति पो0मै0 छात्रवृत्ति योजना से की जावेगी। पो0मै0 छात्रवृत्ति योजना से भुगतान न होने योग्य शिक्षण शुल्क किन्तु विभागीय समिति द्वारा निर्धारित फीस सीमा तक की, शेष राशि का भुगतान संस्था के प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सीधे संबंधित शिक्षण संस्थान को योजना से किया जावेगा।

11. विद्यार्थियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाए :–

11.1 योजना अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को रूपये 1000/–के मान से प्रतिमाह भोजन व्यय की पात्रता होगी। जिसमें से पो0मै0 छात्रवृत्ति अन्तर्गत देय अनुरक्षण भत्तें की राशि विद्यार्थी के द्वारा मेस संचालन हेतु प्रतिमाह अधीक्षक को भुगतान करना अनिवार्य होगा। अंतर की राशि का भुगतान अधीक्षक को योजना से प्रशासकीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर भुगतान किया जावेगा।

11.2 छात्रों से प्राप्त अनुरक्षण भत्ता एवं प्रशासकयीय अधिकारी से प्राप्त अंतर राशि से मेस संचालन का दायित्व अधीक्षक का होगा।

11.3 प्रत्येक छात्र–छात्राओं को पुस्तक कापियों एवं विज्ञान सामग्री इत्यादि के लिए वर्ष में एक बार रूपये 2000/– स्वीकृत किया जायेगा।

11.4 प्रत्येक छात्र–छात्रा के लिए चिकित्सा मद में वर्ष में अधिकतम रूपये 1500/– तक के वास्तविक व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी। गम्भीर बीमारी की स्थिति में रूपयें 1500 से अधिक व्यय का वहन पालको द्वारा किया जायेगा।

12. छात्रावास व्यवस्था :–

प्रत्येक विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र में 500 सीटर छात्रावास होगा। प्रत्येक छात्रावास में रसोई एवं भण्डार कक्षों सहित छात्र–छात्राओं के भोजन नास्ते एवं चाय इत्यादि की पूरी व्यवस्था अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक के देखरेख में होगी। भोजन की पूर्ण व्यवस्था छात्रावास में ही विभागीय कर्मचारियों के द्वारा की जायेगी। जो छात्रावास अधीक्षक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। छात्रावास में लगने वाली सामग्री तखत, गद्दे, चादर, कम्बल, मच्छरदानी, तकिया एवं साज–सज्जा के अन्य सभी सामान राज्य शासन द्वारा छात्रावासी छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

13. चिकित्सा सुविधा :–

विभाग की योजना **"स्वस्थ तन स्वस्थ मन"** अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

14. स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहनः–

14.1 शिक्षक बनने की मानसिकता रखने वाले विद्यार्थीयों को प्रोत्साहन स्वरूप निम्नानुसार बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे।

बोनस अंकों का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगाः–

बोनस अंकों की पात्रता हेतु सारणी

पाठ्यक्रम	Bsc/B.Com पास 50% से कम अंक	Bsc/B.Com उत्तीर्ण 50% से अधिक किन्तु 60% से कम	Bsc/B.Com उत्तीर्ण 60% से अधिक किंतु 75% से कम	Bsc/B.Com उत्तीर्ण डिक्टेनशन अंक (75%) से अधिक अंक
अंक	0	10	20	30
स्तर	Msc/M.Com उत्तीर्ण 50% से कम अंक	Msc/M.Com उत्तीर्ण 50% से अधिक किंतु 60% से कम	Msc/M.Com उत्तीर्ण 60% से अधिक किंतु 75% से कम	Msc/M.Com उत्तीर्ण डिक्टेनशन अंक (75%) से अधिक अंक
अंक	02	10	20	30
स्तर	BED उत्तीर्ण	–	–	–
अंक	20	–	–	–
स्तर	सहायक शिक्षक, पंचायत के रूप में पदस्थ होने पर	शिक्षक पंचायत के रूप में पदस्थ होने पर	व्याख्याता पंचायत के रूप में पदस्थ होने पर	अन्य कहीं पदस्थ होने पर
अंक	0	20	20	0
स्तर	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी होने पर	राज्य स्तरीय प्रति. में तीसरा स्थान प्राप्त होने पर	राज्य स्तरीय प्रति. में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर	राज्य स्तरीय प्रति. में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर
अंक	0	0.2	0.5	01
स्तर	राष्ट्र स्तरीय प्रति. में भाग लेने पर	राष्ट्र स्तरीय प्रति. में तृतीय स्थान प्राप्त होने पर	राष्ट्र स्तरीय प्रति. में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर	राष्ट्र स्तरीय प्रति. में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर
अंक	0.1	0.5	1.0	2.0

14.2 बोनस अंक का मूल्य रू.1000/– के समकक्ष होगा।

14.3 यदि कोई विद्यार्थी लगातार 30 दिन अथवा इससे अधिक दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसके खातों के अंकों से 02 अंक काट लिये जावेगें।

14.4 यदि कोई विद्यार्थी बीच में ही अध्ययन छोड़ देता है उनके अर्जित सभी अंक शून्य मान लिये जावेगें।

14.5 अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के जिलो में शिक्षक अथवा व्याख्याता के रूप में कार्यभार ग्रहण करके एवं 1 वर्ष की निरंतर सेवा के उपरांत अर्जित बोनस अंक की 50% राशि संबधित शिक्षक के खाते में भुगतान की जायेगी। एवं शेष 50% राशि का भुगतान द्वितीय वर्ष के निरंतर सेवा के उपरांत किया जावेगा।

14.6 शिक्षक हेतु निर्धारित परीक्षा, चयन परीक्षा में योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को स्वयं आवेदक के रूप में भाग लेना होगा इसके लिए किसी भी प्रकार की आरक्षण या छूट की पात्रता योजना के तहत देय नहीं होगी।

14.7 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में न्यूनतया अर्हता धारी उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण पद रिक्त होने की स्थिति में योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बी0एड0 की अर्हता से छूट दिये जाने पर विचार किया जायेगा। (पंचायत विभाग से सहमति प्राप्त होने पर)

14.8 योजना में लाभान्वित विद्यार्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्ति पश्चात् अनुसूचित क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। (पंचायत विभाग से सहमति प्राप्त होने पर)

15. संचालन समिति :–

विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र के संचालन की समीक्षा एवं मानीटरिंग हेतु राज्य स्तर पर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जावेगा। जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :–

1. अपर संचालक (प्रशासन/शिक्षा) – सदस्य
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दुर्ग/जगदलपुर – सदस्य
3. संस्था के प्रशासकीय अधिकारी दुर्ग/जगदलपुर – सदस्य
4. योजना प्रभारी अधिकारी (मुख्यालय)– सदस्य सचिव

समिति को योजना के संचालन एवं कियान्वयन से संबंधित समस्त घटकों के चयन, सौपें गये उत्तरदायित्वों के निवर्हन एवं उसके उपरान्त प्राप्त परिणामों की समीक्षा कर भविष्य के लिए आवश्यक सुधार हेतु दिशा तय करने के पूर्ण अधिकार होगें। समिति की पूरे शिक्षण सत्र में कम से कम तीन बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित होगी।

16. योजना में संशोधन, परिवर्तन, व्याख्या आदि की शक्तिः–

योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन एवं व्याख्या करने की शक्ति प्रशासकीय विभाग में निहित होगी।

(डी0डी0कुजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जा0वि0वि0